

मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग,
वल्लभ भवन क्रमांक-3, चतुर्थ तल
मंत्रालय भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 17/05/2019

क्रमांक 1537/1728/2019/1/59, :: राज्य शासन एतद्वारा, डॉ.के.एम.निशांत, रीड शासकीय स्वशासी होम्योपैथी चिकित्सालय एवं महाविद्यालय भोपाल को दिनांक 21.05.2019 28.05.2019 तक विदेश यात्रा (मलेसिया) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करता है :-

- 1- विदेश यात्रा स्वयं के व्यय पर करेंगे तथा इस हेतु शासन से कोई अग्रिम राशि की मांग नहीं करेंगे।
- 2- विदेश जाने के पूर्व सक्षम स्तर से अवकाश स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
- 3- विदेश में बीमार पडने पर स्वयं के व्यय पर इलाज कराना होगा, राज्य शासन द्वारा किसी प्रकार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
- 4- विदेश यात्रा की अवधि में किसी नौकरी, साक्षात्कार, व्यवसाय आदि में भाग नहीं लेंगे।
- 5- विदेश यात्रा की अवधि में निजी प्रेक्टिस नहीं करेंगे व ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जो देश व प्रदेश की गरिमा एवं अखण्डता के विरुद्ध हो।
- 6- विदेश में अपना आचरण शालीनतापूर्वक बनाये रखेंगे।
- 7- चुनाव आचार संहिता प्रभावशील नहीं होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(माधवी नागेन्द्र)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग
भोपाल दिनांक 17/05/2019

क्रमांक 1538 /1728/2019/1/59
प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, आयुष विभाग भोपाल।
 - 2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, आयुष विभाग भोपाल।
 - 3- आयुक्त, आयुष संचालनालय भोपाल।
 - 4- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर उक्त आदेश बेवसाईड पर प्रदर्शित हेतु।
 - 5- संभागीय आयुष अधिकारी, भोपाल संभाग भोपाल।
 - 6- जिला आयुष अधिकारी, जिला भोपाल।
 - 7- प्राचार्य, शासकीय स्वशासी होम्योपैथी चिकित्सालय एवं महाविद्यालय भोपाल
 - 8- डॉ.के.एम.निशांत, रीडर, शासकीय स्वशासी होम्योपैथी चिकित्सालय एवं महाविद्यालय भोपाल
 - 9- स्थापना लिपिक/आर्डर फोल्डर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग